विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है। इसमें छः अध्याय हैं। अध्याय I संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से V मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई), तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) के अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्भूत वर्तमान निष्कर्षों/अवलोकनों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ नीचे दिये गये हैं:

अध्याय – II दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क का समंजन

नवम्बर 2012/मार्च 2013 में सम्पन्न 1800 मेगाहर्ट्ज/800 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम के लिये देय नीलामी राशि के विरूद्ध लाइसेंस धारकों, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित एवं निरस्त कर दिये गये थे, द्वारा 2008 में भुगतान किये गये गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ₹ 5476.30 करोड़ के समंजन ने सरकार को उस सीमा तक राजस्व से वंचित किया।

पैराग्राफ 2.1

3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की गैर–नीलामी के कारण राजस्व की हानि

आपरेटरों को प्रशासनिक तौर पर निःशुल्क वर्ष प्रतिवर्ष 3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम का लगातार आबंटन/विस्तार करने के परिणामस्वरूप एकमुश्त प्रभारों की गैर–वसूली की वजह से सार्वजनिक कोष में उल्लेखनीय हानि हुई जिसको कि सरकार वसूल सकती थी यदि इन्होंने इसकी नीलामी की होती। यह 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज में स्पैक्ट्रम की नीलामी करने के लिये ट्राई की सिफारिश के बावजूद था तथा इसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आशय एवं भावना का भी उल्लंघन किया।

पैराग्राफ 2.2

ट्राई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर अनियमित व्यय

भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केन्द्र सरकार के निर्देशों, अपने ही लीगल डिवीजन तथा विधि, न्याय व कम्पनी मामलों की राय की अनदेखी करते हुये पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा मार्च 2004 तक ₹ 14.12 करोड़ का व्यय किया। भविष्य में व्यय तब तक किया जायेगा जब तक क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत रहेंगे।

पैराग्राफ 2.3

अध्याय–III डाक विभाग

सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के कारण सेवाकर का अधिक भुगतान

सितम्बर 2004 में प्रारम्भ हुये सेनवैट क्रेडिट नियमों ने विनिर्माता अथवा कर योग्य सेवा के सम्भरक को अनुमत किया था कि वे प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर अथवा विशिष्ट अंतिम उत्पाद/आउटपुट सेवाओं के विनिर्माण के सम्बंध में भुगतान किये गये शुल्क/सेवा कर का क्रेडिट लें। इस प्रकार उपलब्ध सेनवैट

क्रेडिट का उपयोग किसी उत्पाद पर उत्पाद शुल्क अथवा आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान के लिये किया जा सकता था।

निदेशक पी एल आई कोलकाता, सी पी एम जी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा दिल्ली 2010 11 से 2013–14 के दौरान पात्र उपयुक्त, सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर व शिक्षा उपकर ₹ 7.52 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 3.1

बारकोडेड बैग लेबल की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

बैग लेवल डेटा इलेक्ट्रानिकली प्राप्त करने के उद्देश्य से, डा वि ने जून 2012 में अपंजीकृत प्रथम श्रेणी की डाक बैग के लिये बारकोडेड बैग लेबल प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। सभी डाक परिमंडलों को अनुदेश दिये गये थे कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इन बैग लेबल के लिये आदेश दें। अपेक्षित सॉफ्टवेयर विकसित किये बिना इन बैग लेबल की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप आशयित उद्देश्य की गैर उपलब्धि के अतिरिक्त ₹ 1.71 करोड़ की व्यय अविवेकी हुआ।

पैराग्राफ 3.2

अध्याय–IV इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अनुबंध प्रबंधन, वेब होस्टिंग तथा एप्लिकेशन डेवलपमेंट में कमियां

अनुपयुक्त योजना के कारण डाटा के बेस मैपिंग पर कम्प्यूटर ऐडेड डिजिटल मैपिंग परियोजना में ₹ 14.25 करोड़ की लागत से किया गया व्यय निष्फल रहा। उचित निगरानी की कमी तथा विभिन्न स्तरों पर विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 12.10 करोड़ के मूल्य के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर अप्रचलित हो गये। एन आई सी ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना में भी ₹ 35.20 करोड़ के अप्रयुक्त हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की खरीद पर निष्क्रिय निवेश करने के अतिरिक्त किराया व मेंटिनेंस चार्जेज पर भी ₹ 3.74 करोड़ का अपव्यय किया।

इसके अतिरिक्त एन आई सी के संबंधित उपयोगकर्ता समूहों के बीच समन्वय की कमी के कारण वेंडर द्वारा ई–कोर्ट परियोजना में कार्य आदेश निष्पादित नहीं करने पर एन आई सी ₹ 2 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त करने में असफल रहा। एन आई सी एन ई टी को इंटरनेट बैंडविथ प्रदान करने के लिये समय पर निविदा जारी नहीं करने के कारण एन आई सी घटती दरों का लाभ लेने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एन आई सी ने बिना सुरक्षा लेखापरीक्षा के 3158 वेबसाइट होस्ट किये। विभिन्न परियोजनाओं के वेबसाइट विकास तथा वेब एप्लिकेशन में भी अनेक कमियां थी।

पैराग्राफ 4.1

सी–डैक द्वारा पुणे में भवन–निर्माण तथा जसोला, नई दिल्ली में कार्यालय–भवन के निर्माण प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब

सी–डैक पुणे द्वारा दोषपूर्ण आयोजन व अविवेकपूर्ण निर्णय भवन–निर्माण के पूर्ण होने में न केवल छः वर्षों से अधिक के विलम्ब में फलित हुआ अपितु लागत में ₹ 66.39 करोड़ की वृद्धि तथा ₹ 47.62 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

इसके अतिरिक्त, सी–डैक दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 1.52 करोड़ का भुगतान करके सितम्बर 2001 में एक प्लॉट पर आधिपत्य लिया था। तथापि, आधिपत्य की तारीख से 14 वर्षों के बाद भी, प्लाट पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया था तथा समय–समय पर विस्तार की मांग के लिये डी डी ए को ₹ 6.08 करोड़ का भुगतान भी किया गया था।

पैराग्राफ 4.2

सी–डैक पुणे द्वारा रियायती बिजली टैरिफ प्राप्त करने में विफलता के कारण ₹ 4.78 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

महाराष्ट्र आई टी/आई टी ई एस पालिसी 2009 के अनुसार, सी–डैक प्रबन्धन योग्य रियायती बिजली टैरिफ का लाभ प्राप्त करने के लिए कदम उठाने में विफल रहा, परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान (सितम्बर 2014 तक) बिजली प्रभारों में ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य व्यय के साथ ही भविष्य में आवर्ती प्रभाव हुआ।

पैराग्राफ 4.4

कार्मिक व स्थापना मामलों के विनियमन में कमियां

सी–डैक पुणे द्वारा उसकी गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित भारत सरकार के नियमों पर आधारित अपने स्टाफ नियमों के विभिन्न प्रावधानों तथा जी एफ आर तथा एफ आर एवं एस आर के उल्लंघन के परिणामस्वरूप स्वरूप पट्टे पर लिये गये आवास, उपदान, मानदेय आदि पर अधिक/अनियमित/परिहार्य भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 4.5

भाड़े पर लिये गये आवास के लिये आन्तरिक साज सज्जा पूरा करने में असाधारण विलम्ब के कारण परिहार्य व निष्फल किराया व्यय

ई आर एन ई टी पट्टा करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी भाड़े की जगह का उपयोग नहीं कर सका था। एरनेट की इस भूल से ₹ 7.17 करोड़ का निष्फल/परिहार्य व्यय हुआ।

पैराग्राफ 4.6

अध्याय –V मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

भा सं नि लि में सी डी आर पर आधारित संमिलित बिलिंग एवं ग्राहक सेवा प्रणाली

भा सं नि लि ने नई चुनौतियों का सामना करने व राजस्व रिसाव बिन्दुओं को रोकने के लिये सी डी आर आधारित बिलिंग व ग्राहक सेवा समाधान कार्यान्वित किया। भा सं नि लि द्वारा दोषपूर्ण योजना के कारण

₹ 8.80 करोड़ के मैग्नेटिक टेप एमुलेटर की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय, राजस्व आश्वासन व कपटपूर्ण प्रबन्धन प्रणाली का आंशिक कार्यान्वयन तथा आई पी डी आर की बिलिंग में बिल न बनाने/विलम्ब से बनाने पर में परणीत हुआ।

पैराग्राफ 5.1

गैर भुगतान के बावजूद भी पट्टे पर दी गई सेवाओं का गैर–विच्छेदन

पट्टे पर दिया गया परिपथ एक समर्पित लिंक है जो ग्राहक द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिये दो स्थिर स्थानों के बीच दिया जाना है। इंडियन टेलीग्राफ नियम के अनुसार, प्रारम्भ में मांग पत्र द्वारा एक वर्ष का अग्रिम किराया तथा स्थापना प्रभार की वसूली की जानी थी तथा आगे के वर्ष के लिये अग्रिम किराया लेना है। निजी/सरकारी संगठनों से तीन वर्षों से अधिक समय के लिये देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी बी एस एन एल द्वारा पट्टे पर दी गई लाइनों व परिपथों को चालू रखने के परिणाम स्वरूप छः दूरसंचार परिमंडल व एक दूरसंचार क्षेत्र में ₹ 223.99 करोड़ के बकाया का संचयन हुआ।

पैराग्राफ 5.2

शास्ति का परिहार्य भुगतान

बी एस एन एल मध्य प्रदेश परिमंडल में अवसंरचना स्थलों के अनुचित रखरखाव के कारण निर्बाध मोबाइल सेवायें प्रदान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप दू वि को ₹ 22.27 करोड़ की शास्ति का भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 5.3

आई टी सी की बिक्री पर अनुचित सेवा कर का दायित्व

बी एस एन एल इंडियन टेलीफोन कार्ड, जिसे केवल जम्मू एवं कश्मीर में बिक्री के लिये बनाया गया था, का निगरानी करने में विफल रहा। यह सेवा कर व उस पर शास्ति के कारण ₹ 5.40 करोड़ की हानि के अतिरिक्त परिहार्य मुकदमेबाजी में फंसने में फलित हुआ।

पैराग्राफ 5.4

नेशनल इनफोरमेटिक्स सेन्टर सेवायें इंक द्वारा अपने स्टाफ को परियोजना प्रोत्साहन परिवहन भत्ता, आवास किराया भत्ता तथा एल टी सी का अनियमित भुगतान

नेशनल इनफारमेटिक सेन्टर सर्विसेज इंक (निकसी), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अन्तर्गत एक अलाभकारी खण्ड 25 कम्पनी ने ₹ 2.11 करोड़ का परियोजना प्रोत्साहन, ₹ 48.87 लाख का परिवहन भत्ता, ₹ 16.58 लाख का मकान किराया भत्ता व ₹ 1.90 करोड़ की एल टी सी प्रतिपूर्ति अपने अधिकारियों को, जो नेशनल इनफोरमेटिक्स सेन्टर से प्रतिनियुक्ति पर थे, को 2010–11 से 2013–14 के दौरान भुगतान किया जोकि वित्त मंत्रालय/कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के उल्लघंन में था।

पैराग्राफ 5.6